न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 320/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/516

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.देवाराम पुत्र भीमाराम 2.राजूराम पुत्र खीमाराम 3.लक्ष्मणराम पुत्र खीमाराम 4.बुधकी पत्नी खीमाराम 5.इंदुदेवी पुत्री खीमाराम 6.गोदादेवी पुत्री खीमाराम 7.शांतिदेवी पुत्री खीमाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.दूदाराम पुत्र बगदाराम 2.रामाराम पुत्र बगदाराम 3.हरीराम पुत्र बगदाराम 4.बालाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 5.ग्राम पंचायत खेड़,तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 4
3.विप्रार्थी संख्या 5 व 6 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 07.03.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़, तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 228 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहां है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम ेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 228 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से जरिए

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की तरफ से जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 5 व 6 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के काराण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोंहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 228 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 228 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही सीमाओं को लेकर वाद–विवाद किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया है। विप्रार्थी को विवादित आराजी की सीमाज्ञान कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थीगण भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही एकपक्षीय तैयार की गई है। अंत प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 228 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति मौका फर्द दिनांक 26.6.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाज़ा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 228 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराज़ी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक07.03.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 07/03/2025
बालोतरा